

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम— ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक बैठक का आयोजन एवं अनुश्रवण।

बजट / एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर)— ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक बैठक का आयोजन एवं अनुश्रवण।

बजट क्रम संख्या / एफ.एम.आर. कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर)— B15.1.4.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

आवधारणा: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम में “ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति” के गठन की अवधारणा है जो संबंधित पंचायत की देख-रेख में संचालित किये जाएंगे। जिसमें राजस्व ग्राम के सभी टोलों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण स्तर पर जनस्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं पर्यावरण रख-रखाव को भी सुनिश्चित करना है।

वित्तीय दिशा-निर्देशन

प्रक्रिया (वित्तीय वर्ष 2013–14 में राशि की उपयोगिता)–

- **कंडिका (क)**— वित्तीय वर्ष 2013–14 में पंचायत स्तर पर गठित एवं कार्यरत “लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति—सह—ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति” की मासिक बैठक, जो प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार को आयोजित करने के लिए एक सौ रुपये (Rs 100) प्रति माह की दर से उपलब्ध करायी जा रही है। इसे संबंधित “लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति—सह—ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति” के बैंक खाते में एक साल के लिए कुल **Rs 1200** की राशि भी उपलब्ध करायी जानी है।

उक्त मासिक बैठक की कार्यवाही एवं उपस्थिति पंजी संबंधित ए.एन.एम. द्वारा संधारित की जायेगी तथा इसमें होने वाले व्यय को भी इसी पंजी में संधारित किया जायेगा। जिसे आवश्यकतानुसार सार्वजनिक किया जा सकता है।

- **कंडिका (ख)**— ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के बैठकों में प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों की भागीदारी:— वित्तीय वर्ष 2013–14 में पंचायत स्तर पर गठित एवं कार्यरत “लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति—सह—ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति” की आयोजित मासिक बैठक जो प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार को किया जाना है, में प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों की भी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। इसके लिए उक्त “लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति—सह—ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति” जिस प्रखण्ड/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आते हैं उसके प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक (BHM), प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक (BCM), चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी—आयुष, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) द्वारा उक्त बैठक में भाग लेना है। इसके लिए प्रति बैठक में भाग लेने हेतु एक सौ रुपये (Rs 100) प्रति व्यक्ति के दर से देय होगा। इस राशि के भुगतान का आधार यह है कि संबंधित पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के दौरान राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे प्रपत्र (संलग्न) में VHSNC बैठक स्थल पर सूचना एकत्र

13/7/13

14/7/13

कर वहां उपस्थित VHSNC चेयरमैन/अध्यक्ष, ए.एन.एम. एवं कोई एक अन्य सदस्य जो बैठक में उपस्थित हो से हस्ताक्षर करवाकर, उक्त प्रपत्र को संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को समर्पित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। यहाँ यह उल्लेखित करना उचित होगा कि एक बैठक में उपर्युक्त वर्णित पदाधिकारियों में से कोई एक हीं पदाधिकारी एक बैठक में भाग ले सकेंगे तथा अन्य पदाधिकारी अन्य बैठक में भाग लेंगे। जैसा कि ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस से संबंधित राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक संख्या SHSB/GenAdmin/256/2010/24613 दिनांक-15/03/11 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को उल्लेखित समिति की बैठक आयोजित की जानी है जिसमें संबंधित पदाधिकारियों की भागीदारी अनिवार्य है। इसके आयोजन से संबंधित एक Film सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रदर्शित करने का निदेश पूर्व में दिया गया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी यह सुनिष्चित करेंगे की माह में एक बार इस Film को ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति तथा इसके अन्तर्गत निगरानी समिति के सदस्यों यथा:- ए.एन.एम., आषा, इत्यादि को प्रखण्ड स्तर पर प्रदर्शित किया जाए, जिससे इन समिति के सदस्यों को प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को बैठक करने की कार्यशैली विकसीत की जा सके। यदि किसी कारणवश यह बैठक निर्धारित दिवसों के अतिरिक्त किसी अन्य तिथि को बैठक का आयोजन किया जाता है तो संबंधित ए.एन.एम. की यह जवाबदेही होगी कि पुर्व में हीं परिवर्तित तिथि एवं दिवस की सूचना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को एवं प्रेखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक/प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक को दिया जाय। तत्पश्चात प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक/प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक संबंधित पदाधिकारियों को समय से पुर्व सूचित कर देंगे। इस बैठक में प्रखण्ड स्तर से उपर्युक्त वर्णित पदाधिकारियों की अधिकतम उपस्थिति के लिए आवश्यक है कि पंचायत स्तर पर गठित उक्त समिति के मासिक बैठक की तिथि पुर्व निर्धारित एवं प्रचारित हो जिससे इस बैठक का पर्यवेक्षण अच्छी तरीके से हो सके। किसी भी पंचायत में उक्त समिति की मासिक बैठक को साल में अधिकतम तीन बार ही वर्णित पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा ताकि प्रखण्ड/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले सभी पंचायत की उक्त समिति की मासिक बैठक का अनुश्रवण किया जा सके।

ईकाई राशि:

- @Rs. 100/-प्रति माह प्रति VHSNC मासिक बैठक आयोजित करने के लिए। यह राशि 100रुपये/। प्रतिमाह की दर से 1200 रुपये/- की राशि प्रत्येक VHSNC के खाते में हस्तांतरित कर दी जायेगी।
- @Rs 100/-प्रति प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी को प्रोत्साहन राशि VHSNC की मासिक बैठक में भाग लेने हेतु। प्रत्येक VHSNC की पुरे साल में सिर्फ 3 बैठक को पर्यवेक्षण करने के लिए रुपये 100 प्रति व्यक्ति की दर से रुपये 300 प्रति VHSNC की दर से राशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिसे प्रखण्ड स्तर से उपयोग किया जायेगा।

FMR Code - B15.1.4.1

13/7/13

वित्तीय रख-रखाव

राशि उपयोग करने के तरीके:-

- **कंडिका (क)** के लिए— 100/-रुपये प्रतिमाह की दर से ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक आयोजित करने के लिए उपलब्ध करायी जा रही है। इस राशि के उपयोग की जवाबदेही पंचायत स्तर पर गठित "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति" को होगी। जहां तक उपयोग की गयी राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रश्न है समिति द्वारा मासिक रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक बैठक के आयोजन में किये गये खर्च का ब्यौरा सिर्फ समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर के उपरान्त संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को भेजी जाएगी यहां यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ कोई भी विपत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी का दायित्व होगा कि समिति से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र को संकलित कर विहित प्रपत्र में जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित करेगी।
- **कंडिका (ख)** के लिए—100/-रुपये की प्रोत्साहन राशि उपर्युक्त वर्णित पदाधिकारियों को ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक बैठक में भाग लेने पर प्रदान किया जाना है। विदित हो कि ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के बैठक की अनुश्रवण मद की राशि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर गठित रोगी कल्याण समिति के एकाउन्ट में जमा रहेगी तथा जब भी कोई उपर्युक्त वर्णित पदाधिकारियों में से कोई पदाधिकारी ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में भाग लेंगे तथा राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा इस कार्य के लिए उपलब्ध कराये जा रहे संलग्न प्रपत्र में सभी सूचनाएं एकत्र कर एवं आवश्यक हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं, जिसके आधार पर उन्हें निर्धारित की गई राशि का भुगतान किया जायेगा। कुल भुगतेय प्रोत्साहन राशि का वितरण संकलित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इस राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित करेगी।

उपर्युक्त दोनों राशि जो कंडिका (क) एवं कंडिका (ख) से वर्णित हैं, का प्रमाण पत्र एक ही FMR कोड के माध्यम से भेजा जायेगा।

यहाँ यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि 1200 रुपये/-की राशि जो सीधे VHSNC के खाते में भेजा जा रहा है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र VHSNC के मानक प्रक्रिया के माध्यम से ही प्राप्त कर तथा इस बैठक में सम्मिलित हुए पदाधिकारी को दी गई प्रोत्साहन राशि दोनों व्यय को संबंधित FMR कोड संख्या B15.1.4.1 में ही अंकित करना सुनिश्चित करें।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) 9087, Dated 03.02.2009 (ख) 9219, Dated 21.02.2009 (ग) 24613, Dated 15.03.11

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम— श्री रंजीत समैयार
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर— 9470003025

Q

FMR Code - B15.1.4.1

LX

13/7/13

जिला:-	भ्रमण की तिथि:-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र:-	संबंधित स्वास्थ्य उपकेन्द्र:-	
VHSNC/ पंचायत का नाम (जहां ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक हो रही है)		
VHSNC/ पंचायत के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम की संख्या		
VHSNC/ पंचायत के अन्तर्गत कितने राजस्व ग्राम में नियमानुकूल निगरानी समिति का गठन किया गया है?		
ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति स्थल पर उपस्थित सदस्यों में से किन – किन सदस्यों के द्वारा VHSNC फ़िल्म के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है? (पुछ कर निशान लगाएँ)	ए.एन.एम. () आंगनबाड़ी () आशा () पी.आर.आई. () अन्य (लिखें)	
1 Bank account details (बैंक खाते का विवरण)	विवरण लिखे	
1.1 VHSNC का संयुक्त खाता किस बैंक में खुला है। (बैंक एवं शाखा का नाम लिखें)		
1.2 संयुक्त खाता के चैयरमैन का नाम		
1.3 संयुक्त खाता के सचिव का नाम (ए.एन.एम.)		
1.4 संयुक्त खाता में चालू वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई कुलराशि		
1.5 संयुक्त खाता में उपलब्ध कुल राशि		
2 VHSNC में उपलब्ध प्रपत्र/ संचिका	Available (Yes/No)	Using (Yes/No)
2.1 उपस्थिति रजिस्टर/ कार्यवाही रजिस्टर		
2.2 कराए गए कार्य का बिल/ भुगतान प्रपत्र		
2.3 राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) का प्रपत्र (जिसे PHC में मासिक दिया जाना है)		
2.4 खर्च विवरण (SOE) प्रपत्र		
3 Meeting Participant Details (उपस्थित सदस्यों का विवरण)		
3A VHSNC सदस्य	Present (Yes/No)	Remarks
3A.1 VHSNC चैयरमैन		
3A.2 VHSNC सचिव (ए.एन.एम.)		
3A.3 लेडी सुपरवाइजर (आई.सी.डी.एस.)		
3A.4 वर्षीय मिस्ट्री (पी.एच.ई.डी.)		
3A.5 अन्य.....		
3 B निगरानी समिति सदस्य (राजस्व ग्राम स्तर के)	Number (संख्या)	Remarks
3B.1 आंगनबाड़ी सेविका		
3B.2 आशा		
3B.3 स्वयं सहायता समुह के प्रतिनिधि		
3B.4 वाडे कमिशनर		
3B.5 अन्य.....		
4 पूर्व में VHSNC के द्वारा कराये गए मुख्य कार्य		
4.1		
4.2		
4.3		
4.4		
4.5		
5 VHSNC बैठक में आज लिये गए मुख्य निर्णय		
5.1	5.6	
5.2	5.7	
5.3	5.8	
5.4	5.9	
5.5	5.10	

अभियुक्ति:- VHSNC बैठक पर सुझाव (अगर सुझाव अधिक है तब पुछ के पिछे भाग में लिखें):-

घोषणा:- मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि VHSNC बैठक का पर्यवेक्षण किया गया एवं उपरोक्त सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर तारीख के साथ (VHSNC बैठक स्थल पर उपस्थित कर्मी)

VHSNC चैयरमैन/ बैठक के अध्यक्ष:-

ए.एन.एम.: -

अन्य (कोई एक बैठक में उपस्थित सदस्य):-

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर
पदनाम, विभाग के साथ।

(406)

(d)

13/7/13

d